

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज. जयपुर

क्रमांक: अराज/टीसी/2024/142

दिनांक: 15/3/2024

:: आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर द्वारा अपील संख्या 191/2024 एवं अपील संख्या 192/2024 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2024 के अनुसरण में श्री शरद कुमार, रेडियोग्राफर एवं श्री रिंकु यादव, रेडियोग्राफर को आज दिनांक को मध्याह्न पश्चात कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने पूर्व पदस्थापित स्थान पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

क्रमांक: अराज/टीसी/2024/142

दिनांक: 15/3/2024

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 (ग्रुप 3) विभाग, राज0 जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वा0) मुख्यालय, को प्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकरण के सिलिकोसिस से संबंधित होने के दृष्टिगत संबंधित को आवश्यक कार्यवाही निर्देशित करें।
5. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
6. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें जोन, राजस्थान।
7. संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रक अधिकारी।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
6169402

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :15-03-2024 06:35:54